

31/12/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
गोपालसिंह पुत्र खेमराज मल	ना	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
कड़कल	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 302/2021 GCMS No. 2021/1079

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

03/12/2021

वादी श्री गोपालसिंह पुत्र खेमराज जाति मल निवासी कड़कल द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पिण्डुय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2076-2077 ग्राम कड़कल पटवार मण्डल कड़कल के खाता नम्बर 115 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि गोपालसिंह पुत्र खेमराज दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम गोपालसिंह पुत्र खेमराज है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 807497817281 मतदाता पहचान पत्र 15/25/1857018013 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी कड़कल भू.अ.नि 12/11/2021 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

1211-1213